



Neutral Citation No - 2026:AHC:28606

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 2026 की 1899

श्रीमती उर्मिला देवी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : विजय कुमार कुशवाहा

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार कुशवाहा एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का पक्ष यह है कि वे एक मणि राम की पत्नी हैं जो बन्दी रक्षक के पद पर पदस्थापित थे और जिनका 17.02.2024 को निधन हो गया। रिट याचिकाकर्ता पारिवारिक पेंशन का दावा करती हैं।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का यह निवेदन है कि पत्रावली के पृष्ठ-17 पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता द्वितीय पत्नी हैं और प्रतिवादियों के पास यह पता लगाने

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



का कोई स्वतंत्र तंत्र नहीं है कि कौन प्रथम पत्नी है और कौन द्वितीय, तथा उसी प्रयोजन हेतु वे उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र अथवा साक्ष्यात्मक मूल्य रखने वाला कोई सार्वजनिक दस्तावेज चाहते हैं।

4. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क करने के लिए रिट याचिका के पैरा-10 की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि उन्होंने उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

5. यथास्थिति जो भी हो, यह रिट याचिकाकर्ता पर है कि वे प्रतिवादी संख्या 2, अधीक्षक, जिला कारागार फतेहगढ़, जिला फतेहगढ़ के समक्ष जाएं।

6. विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय के समक्ष किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है, जो उक्त कार्यवाही पर प्रभावित पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर, विधि के अनुसार कड़ाई से रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने हेतु अग्रसर होंगे।

10 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"